



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1874/ Type Approval No. 1874

मद/FOR ITEM: रोड, पार्ट सं.11 बीआरडी/आईएससी/6448.00

(रशियन रोड पार्ट सं.5.12.5305.2553.98) / Rod, Part No. 11 BRD/ISC/6448.00 (Russian Rod Part No. 5.12.5305.2553.98)

यह प्रमाणित किया जाता है कि रिशयन रोड, पार्ट सं. 5.12.5305.2553.98 के बदले 11बीआरडी/एलसी/एयर/12500 द्वारा स्वदेशी रूप से तादात्म्य स्थापित 11 बेस रिपेयर डिपो (बीआरडी), ओझर, नासिक-422 207 द्वारा अभिकल्पित और विकसित एवं मेसर्स आरपीएम इंजीनियरिंग सर्विसेस, प्लाट सं. ए-19, एमआईडीसी, सतपुर, नासिक – 422 207, द्वारा उत्पादित "रोड" पार्ट सं. 11बीआरडी/आईएससी/6448.00, को मास्टर आरेखन सं. 11बीआरडी/आईडीएस/एम/6448.00, दिनांक 04 जून 2013 के अनुसार मिग-29 वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (नासिक) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.11बीआरडी/आईएनडी/टीएस/111, दिनांक 18 मार्च 2011 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Rod" bearing the Part No. 11 BRD/ISC/6448.00 indigeneously identified by 11BRD/LC/Air/12500 against Russian Rod Part No. 5.12.5305.2553.98 designed and developed by 11 Base Repair Depot (BRD), Ojhar, Nasik – 422 207 and manufactured by M/s. RPM Engineering Services, Plot No. 28, Gala No. A-19, MIDC, Satpur, Nasik -422 207 is hereby approved for production as per Master Drawing No.: 11 BRD/IDS/M/6448.00, Dated: 4th June 2013 for use in MiG -29 Aircraft. It has been tested in co-ordination with RCMA (Nasik) as per Test Schedule No.11 BRD/IND/TS/111, Dated: 18th March 2011. It has met the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix –'A'.

ਪ੍ਰਤ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1874 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (नासिक), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Nasik), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1874 दिनांक/Date : **३।** *December 2015*

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / **P.JAYAPAL** मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)